

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या :32/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/39)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 ओ तेजेवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 21.02.2025

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 20.06.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 17/18, 86/19 में वादी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 121/57, 02/03 में वादी का नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र लिछमण सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह ही है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 17/18, 86/19 में वादी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह व राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 121/57, 02/03 छिन्द्रपाल सिंह पुत्र लिछमण सिंह के स्थान पर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
 - वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 1042 दिनांक 09.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 10 ओ के खाता संख्या 2, 31, 121, 125 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह तथा खाता संख्या 17, 86 में सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज है। लेकिन प्रार्थी को गांव में लोग सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के नाम से जानते हैं। छिन्द्रपाल सिंह व सुरेन्द्रपाल सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। साक्ष्यवादी में गवाह लखविन्द्र सिंह, सुखदेव सिंह के शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए सामिल मिसल किए गए।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र




सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 2, 31, 121, 125, 17, 86 की प्रति, आधार कार्ड छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 17/18, 86/19 में अंकित सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह व राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 79/79, 31/2, 121/57, 125/115, 02/03 छिन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति में नाम सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।


—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 17/18, 86/19 में अंकित सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह व राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 79/79, 31/2, 121/57, 125/115, 02/03 में अंकित नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्जकिए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।


सहायक कलक्टर एवं प्रदेन

सहायक कलक्टर एवं प्रदेन
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर) नगर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर एवं प्रदेन

सहायक कलक्टर एवं प्रदेन
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर) नगर



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 32/2025

निर्णय दिनांक :- 20.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 17/18, 86/19 में अंकित सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह व राजस्व ग्राम 10 ओ तेजेवाला, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 79/79, 31/2, 121/57, 125/115, 02/03 में अंकित नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सहायक कलक्टर एवं पदेन}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर) श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{सहायक कलक्टर एवं पदेन}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर) श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/2025/398

दिनांक: 20.06.2025

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सहायक कलक्टर एवं पदेन}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर) श्रीगंगानगर